रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223361 CG-DL-E-27112020-223361

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] No. 530] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/ अग्रहायण 5, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम. 2020

फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2020.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 की दूसरी अनुसूची के प्ररूप 1 में, —

पैरा 5.7 का लोप किया जाएगा।

ज्योति जिंदगर, सचिव [आई/सी]

[विज्ञापन / III / 4 / असा. / 390 / 2020-21]

5767 GI/2020 (1)

- टिप्पण—मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/ सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में प्रकाशित किया गया था और उनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे:—
- (क) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में प्रकाशित किया गया था।
- (ख) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित किया गया था।
- (ग) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया था।
- (घ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 01 जुलाई, 2015 में प्रकाशित किया गया था।
- (ङ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 07 जनवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था।
- (च) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 09 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।
- (छ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 13 अगस्त, 2019 में प्रकाशित किया गया था।
- (ज) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2019(2) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 30 अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2020

F.No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2020.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, in Schedule II, in Form I —

paragraph number 5.7 shall be omitted.

JYOTI JINDGAR, Secy. [I/c] [ADVT/ III/4/Exty./390/2020-21]

- **Note**: Principal regulations were published vide notification number F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011- 12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,—
- (a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb.Regl./ 2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;
- (b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;
- (c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014;
- (d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 01st July, 2015;
- (e) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 07th January, 2016;
- (f) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 09th October, 2018;
- (g) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 13th August, 2019; and
- (h) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2019(2) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2019.